

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक:- F1(23)/Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/ 114

दिनांक 24/08/18

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या F.1(23)/Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/1015 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा नीचे अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके नाम के समक्ष अंकित विषय/पद पर करते हुए इनका पदस्थापन अंकित नवीन मेडिकल कॉलेज में किया गया था, इनके द्वारा विभिन्न परिस्थितियां दर्शाते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित दिवस की कार्यग्रहण समयावधि में और अभिवृद्धि चाही गई है। अतः निम्न अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश दिनांक 20.08.2018 के तहत निर्धारित कार्यग्रहण अवधि समाप्त होने की दिनांक से उनके नाम के समक्ष अंकित दिवसों की अभिवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिन अभ्यर्थियों की उक्त अभिवृद्धि अवधि इस आदेश के जारी होने की दिनांक से पहले ही पूरी हो चुकी है, उनके मामले में इस आदेश के जारी होने के तीन दिवस तक कार्यग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	विषय	पद	नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अभिवृद्धि का समय
1.	Anaesthesia	Associate Professor	Dr. Neelesh Bhatnagar	Bhilwara	15 Days
2.	Forensic Medicine	Senior Demonstrator	Dr. Santosh Kumar	Pali	15 Days
3.	Forensic Medicine	Senior Demonstrator	Dr. Amit Shrivastawa	Bhilwara	15 Days
4.	Pharmacology	Professor	Dr. Tushar Balchand Chudiwal	Pali	15 Days
5.	Pathology	Assistant Professor	Dr. Tarun Sharma	Churu	15 Days
6.	Physiology	Professor	Dr. Jayantkumar Jitendrabhai Makwana	Dungarpur	22 days
7.	Anaesthesia	Associate Professor	Dr. Kumar Asnani	Churu	30 days
8.	Pathology	Professor	Dr. S. N. Chawala	Churu	45 days

कृ.प.उ.

उक्त निर्धारित अवधि में यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया तो यह आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा। जिन चिकित्सक शिक्षको द्वारा 31.07.2018 के बाद यदि किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में एम.सी.आई. निरीक्षण में भाग लिया है, को कार्यग्रहण नहीं कराया जायेगा एवं नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

इसके साथ ही डॉ. लोकेन्द्रपाल सिंह, वरिष्ठ प्रदर्शक (फोरेन्सिक मेडिसिन) ने मेडिकल कॉलेज भरतपुर में एवं डॉ. रजनी, सह आचार्य (एनाटॉमी) ने मेडिकल कॉलेज चूरु में दिनांक 31.08.2018 को कार्यग्रहण किया है, उक्त अभ्यर्थियों के संबंध में संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा इनके ज्वार्निंग समय में आंशिक शिथिलन की कार्योत्तर स्वीकृति चाही है, जो एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किये जा रहे हैं

समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक:- F.1(23)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/ 114)

दिनांक : 24/07/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरु/डूंगरपुर/बाडमेर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस, जयपुर।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल से।
6. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर